

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजसव अपील प्राधिकारी, वाङ्गेर

कमलसिंह
बनाम
सरकार

किसम मुकदमा 225 आर.टी एक्ट

न. 15 रान् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर न तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	--

24.02.2022 पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट श्री छैलसिंह राठौड़ एवं सरकार की तरफ से राजकीय अभिभाषक उपरिथत। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय सहायक कलक्टर फतेहगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 38/2021 बअनवान कमलसिंह बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 16.12.2021 के विरुद्ध पेश हुई। मियाद के बिंदु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील पत्रावली पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि है तथा वक्त सेटलमेंट अपीलाधीन आराजी की अपीलांट को खातेदारी नहीं दी गई। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। दावे के विचारण में अपीलांट को मौके से बेदखल किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होना संभावित है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपील पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलांट का कोई हक नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोंडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद विवेचन अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोंडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

राजसव अपील अधिकारी
वाङ्गेर

5. A